षोडश बिहार विधान सभा

द्वादश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-15.02.2019 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री भाई वीरेन्द्र, स०वि०स० श्री ललित कुमार यादव, स०वि०स० मो० नेमतुल्लाह, स०वि०स० श्री फैयाज अहमद, स०वि०स० डॉ० रामानन्द यादव, स०वि०स० श्री फैसल रहमान, स०वि०स० श्री उपेन्द्र पासवान, स०वि०स० डॉ० अब्दुल गफूर, स०वि०स०	''पूरे राज्य में संचालित निजी विद्यालयों में कक्षा-01 से 12वीं तक में एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकें न चलाकर निजी प्रकाशनों की महंगी-महंगी पुस्तकें चलाये जाने से अभिभावकों का आर्थिक शोषण हो रहा है । पूरे देश में एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकों का सही पैमाना होने से निजी प्रकाशनों की पुस्तकें पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में काफी कठिनाइयाँ होती है । अतः छात्र-छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य के मद्देनजर राज्य के निजी विद्यालयों में सिर्फ एन.सी.ई.आर.टी. की ही पुस्तकें चलाये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।''	शिक्षा

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	डॉ० मेवालाल चौधरी, स०वि०स० श्री तारकिशोर प्रसाद, स०वि०स० श्री मिथिलेश तिवारी, स०वि०स० श्री विनोद प्रसाद यादव, स०वि०स० श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह, स०वि०स० श्री सुबोध राय, स०वि०स० श्री लक्ष्मेश्वर राय, स०वि०स० श्री चन्द्रसेन प्रसाद, स०वि०स० श्री निरंजन कुमार मेहता, स०वि०स०	''बिहार के दो कृषि विश्वविद्यालयों में से राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर का अधिग्रहण भारत सरकार द्वारा किए जाने के उपरांत उसमें स्थानीय छात्र-छात्राओं का दाखिला में अलग से कोटा का निर्धारण नहीं किया गया है । दूसरे प्रदेश के विश्वविद्यालयों में दाखिला लेकर पढ़ाई करने में यहाँ के अपेक्षाकृत अधिक खर्च होते हैं । अर्थाभाव के कारण कई बिहारी छात्र-छात्राएँ दूसरे प्रदेशों में दाखिला हेतु नहीं जा पाते हैं और वे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं । अतएव राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर में बिहारी छात्र-छात्राओं का दाखिला में अलग से कोटा निर्धारण कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।''	कृषि

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-04/19- 210 / वि०स०, पटना, दिनांक-14 फरवरी, 2019 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / शिक्षा विभाग तथा कृषि विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14/2/19
(प्रमोद कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-04/19- 210 / वि०स०, पटना, दिनांक-14 फरवरी, 2019 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

14/2/19
(प्रमोद कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।